सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण, 1948 (श०)

संख्या - 421 राँची, गुरूवार, 23 जुलाई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 जुलाई, 2026

संख्या-5/आरोप-1-191/2017-37441 (HRMS)--श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-275/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, विश्रामपुर नगर परिषद्, पलामू के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5989, दिनांक 15.09.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया।

आरोप पत्र में श्रीमती कुजूर के विरूद्ध विश्रामपुर नगर परिष्द के वार्ड में 40 चापाकल गाड़ने के कार्य के निविदा निष्पादन में अनियमितता, 20 वार्ड में टैंकर से पानी देने के निविदा निष्पादन में अनियमितता, 20 वार्ड की मरम्मति के कार्य के निविदा निष्पादन में अनियमितता, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के चयन में अनियमितता, उक्त योजना का कार्यान्वयन असंतोषजनक एवं स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत शौचालयों के निर्माण में शिथिलता बरतने संबंधी कुल-06 आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-51, दिनांक 01.01.2018 द्वारा श्रीमती कुजूर से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्रीमती कुजूर के पत्रांक-221, दिनांक 03.07.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुजूर के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-6368, दिनांक 23.08.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई। नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2911, दिनांक 21.09.2021 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्रीमती कुजूर के विरूद्ध गठित आरोप, उनका स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-24030(HRMS), दिनांक 12.09.2023 द्वारा श्रीमती कुजूर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-81, दिनांक 09.02.2026 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती कुजूर के विरूद्ध गठित आरोप सं0-1 से 6 को सिद्ध नहीं होता है/प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है ।

फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-1529, दिनांक 12.03.2026 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित का अनुरोध किया गया ।

उक्त के आलोक में विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-259, दिनांक 18.05.2026 द्वारा श्रीमती कुजूर के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का पुर्नजाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन/निष्कर्ष में श्रीमती कुजूर के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप सं0-1 से 6 को सिद्ध नहीं होता है/प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया है ।

श्रीमती कुजूर के विरूद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-275/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, विश्रामपुर नगर परिषद्, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	JYOTI VANDANA KUJUR 110011165681	समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य/निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्रीमती ज्योति वंदना कुजूर, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-275/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, विश्रामपुर नगर परिषद्, पलामू को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:20060400057

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 421 - 50